



SDRF से विकलनीय

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

आवंटनादेश सं०-05/रा०आ०मो०नि०(अनुग्रह अनुदान)-02/2022-13(आ०)आ०प्र०, राँची दिनांक-09.06.22

प्रेषक,

अमिताभ कौशल, भा०प्र०से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

विषय :- मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हित प्राकृतिक आपदाओं से संतप्त परिवार हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपबंधित राशि के सुसंगत शीर्ष से कुल राशि 4,05,00,000/- (चार करोड़ पाँच लाख) रुपये मात्र का आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-36(स्वी०) दिनांक-09.06.2022

महाशय,

उक्त आवंटित राशि वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 245/बजट दिनांक-30.03.2022 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के निम्न वर्णित बजट शीर्ष के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा -

क्र० सं०	बजट शीर्ष	आवंटित राशि (रु० में)
1	मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष-03-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 79-सहायता अनुदान सामान्य विपत्र कोड-39-S-2245-02-101-03-00-06-79	4,05,00,000/- (चार करोड़ पाँच लाख) रुपये मात्र

2. मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता में दिनांक-10.05.2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के निर्णय-3 "भारत सरकार द्वारा चिन्हित प्राकृतिक आपदाओं से हुए क्षति एवं होने वाली क्षति के संदर्भ में कतिपय जिलों से प्राप्त अधियाचना को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के लिए जिलों को राज्य आपदा मोचन निधि के सुसंगत शीर्ष में उपबंधित राशि से अनुमानित राशि उपलब्ध कराने पर राज्य कार्यकारिणी समिति ने मदवार राशि स्वीकृत करने पर निम्नवत् सहमति प्रदान की गई" :-

(II) प्राकृतिक आपदा-बाढ़, चक्रवात आदि (अग्निकांड सहित) से संतप्त परिवार हेतु जिलों को आवंटित राशि की विवरणी :-

आ०सं०-05/रा०आ०मो०नि०(अनुग्रह अनुदान)-02/2022-.....13(आ०)/आ०प्र०, राँची दिनांक-09.06.2022

क्र० सं०	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	राँची	10,00,000
2	गुमला	10,00,000
3	सिमडेगा	10,00,000
4	लोहरदगा	10,00,000
5	खूँटी	10,00,000
6	हजारीबाग	10,00,000
7	रामगढ़	10,00,000
8	चतरा	10,00,000
9	कोडरमा	10,00,000
10	गिरिडीह	25,00,000
11	धनबाद	10,00,000
12	बोकारो	10,00,000
13	पूर्वी सिंहभूम	40,00,000
14	पश्चिमी सिंहभूम	15,00,000
15	सरायकेला-खरसावाँ	35,00,000
16	पलामू	10,00,000
17	गढ़वा	10,00,000
18	लातेहार	10,00,000
19	दुमका	10,00,000
20	जामताड़ा	10,00,000
21	देवघर	10,00,000
22	गोड्डा	10,00,000
23	साहेबगंज	90,00,000
24	पाकुड़	20,00,000
कुल योग		4,05,00,000

- उक्त आवंटित राशि से वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में भारत सरकार द्वारा चिन्हित प्राकृतिक आपदा (सुखाड़ को छोड़कर) से संतप्त परिवार के लिए अनुग्रह अनुदान का भुगतान राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) हेतु गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक-32-07/2014-NDM-I दिनांक-08.04.2015 द्वारा निर्गत Items और Norms of assistance का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किया जायेगा।
- गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक-33-05/2020-NDM-I दिनांक-09.04.2020 द्वारा पूर्व के राज्य आपदा मोचन निधि हेतु पत्रांक-32-07/2014-NDM-I दिनांक-08.04.2015 से निर्गत Items & Norms of assistance की वैधता बढ़ा दी गई है।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक-33-05/2015-NDM-I, दिनांक-30.07.2015 में अंकित प्राकृतिक आपदा-Cyclone, Earthquake, Fire, Flood, Tsunami, Hailstorm, Landslide, Avalanche, Cloud Burst, Pest Attack and Frost & Cold Wave से संतप्त परिवार के लिए अनुग्रह अनुदान का भुगतान लाभुकवार आवंटित की जायेगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्णय के आलोक में उपायुक्त के द्वारा राशि का भुगतान किया जायेगा।

आ०सं०-05/रा०आ०मो०नि०(अनुग्रह अनुदान)-02/2022-13(आ०)/आ०प्र०, राँची दिनांक-09.06.22

6. उक्त आवंटित राशि का उपयोग "यास चक्रवात, 2021", सुखाड़ एवं अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) से संतप्त परिवार के लिये नहीं किया जायेगा।
7. आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित उपायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा संबंधित जिला कोषागार से राशि की विधिवत् निकासी की जायेगी।
8. आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय निर्धारित मद-मापदण्डों के अनुसार उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए राशि आवंटित की जा रही है।
9. अनुग्रह अनुदान का भुगतान आश्रित/लाभुक के बैंक खाते में NEFT/RTGS/DBT के माध्यम से किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
10. संबंधित उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार भौतिक सत्यापन के आधार पर पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे कि राशि का भुगतान वास्तविक आश्रित/लाभुक को ही हो रहा है एवं आश्वस्त हो लेंगे कि अनुग्रह अनुदान भुगतान में दुहराव नहीं हो रहा है।
11. उपायुक्त के कार्यालय में अभिलेखों को नियमानुसार संधारित किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक लाभुक का पूर्ण विवरण, भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन, प्राकृतिक आपदाओं से मृत्यु का पूर्ण साक्ष्य यथा - पोस्ट मार्टम प्रतिवेदन, मृत्यु प्रमाण-पत्र/चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा भुगतान की विवरणी उपलब्ध हो। उक्त अभिलेख को अंकेक्षण हेतु संरक्षित रखा जायेगा।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी होगी कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरुद्ध राशि व्यय की जा रही है, जिसे किसी दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही हो तो उस राशि की निकासी को रोक कर इसके निराकरण हेतु अविलम्ब सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।
13. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-604 दिनांक-18.05.2015 के प्रपत्र डी०एम०-1 में पूर्ण विवरण विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी के तुरंत बाद विभागीय संकल्प ज्ञापांक-604 दिनांक-18.05.2015 के प्रपत्र डी०एम०-5 में विभाग को व्यय विवरण समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। राशि की निकासी नहीं होने की स्थिति में राशि का प्रत्यर्पण 20 मार्च, 2023 के पूर्व ऑन-लाईन करने का दायित्व संबंधित उपायुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
15. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-33-06/2015-NDM-I, दिनांक-06.05.2015 द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में मदवार एवं आपदावार मासिक व्यय विवरण विभाग को संबंधित उपायुक्त द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
17. आवंटित राशि के व्यय के पश्चात् विभाग को विहित प्रपत्र GFR19-A में संबंधित उपायुक्त के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।
18. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों की जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
19. महालेखाकार से मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा सत्यापन का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

20. झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016, वित्त नियमावली, वित्त विभाग तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभागों द्वारा समय-समय पर तत्संबंधी निर्गत विभिन्न परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
21. वित्त विभागीय परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.1998 का अनुपालन किया जाय।
22. स्रोत पर टैक्स कटौती के वित्त/वित्त (वाणिज्यकर) विभाग/आयकर अधिनियम इत्यादि की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
23. प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश की सभी शर्तों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

9/6/2022

(अमिताभ कौशल)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक -05/रा०ओ०मौ०नि०(अनुग्रह अनुदान)-02/2022-13(31/ओ०प्र०, राँची दिनांक-09.06.2022

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), झारखण्ड/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव के उप सचिव/सचिव कोषांग, आपदा प्रबंधन प्रभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-09 (बजट प्रशाखा) एवं प्रशाखा-12 (सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रशाखा), गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/6/2022

सरकार के सचिव।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Home, Jail and Disaster Management Department (Disaster Management D)

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 02/22/13(AA)

दिनांक - 09-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 39 22450210103000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - अनुग्रहिक राहत 03 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28146	RNCDAD034 KEWAL KRISHNA AGRAWAL NAJARAT DEPUTY COLLECTOR.	1,000,000.00 रुपये दस लाख
2	S 39 22450210103000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - अनुग्रहिक राहत 03 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28151	GMLDAD009 SIDDHARTH SHANKAR CHAUDHRY N. D. C. GUMLA	1,000,000.00 रुपये दस लाख
3	S 39 22450210103000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - अनुग्रहिक राहत 03 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28153	SDGDAD014 MRS R. RONITA DY. COMMISSIONER, SIMDEGA	1,000,000.00 रुपये दस लाख

योग: रुपये तीस लाख
क्रमिक योग:

3,000,000.00

(AMITABH KAUSHAL)
SECRETARY

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 39 22450210103000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 03 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28154	LDGDAD030 SHRI WAGHMARE PRASAD KRISHNA DEPUTY COMMISSIONER LOHARDAGA 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	1,000,000.00 रुपये दस लाख
5	S 39 22450210103000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 03 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28155	KHNDADK01 SHASHI RANJAN D.C.KHUNTI 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	1,000,000.00 रुपये दस लाख
6	S 39 22450210103000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 03 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28156	HZBDAD055 ADITYA KUMAR ANAND DY.COMMISSINOR HZB 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	1,000,000.00 रुपये दस लाख

योग: रुपये साठ लाख
क्रमिक योग:

3,000,000.00

6,000,000.00

(AMITABH KAUSHAL)
SECRETARY

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 39 22450210103000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - अनुग्रहिक राहत 03 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28157	RGHDAD059 SRI SOURABH PRASAD NDC RAMGARH	1,000,000.00 रुपये दस लाख
8	S 39 22450210103000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - अनुग्रहिक राहत 03 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28159	CTRDAD003 ANJALI YADAV D.C. CHATRA	1,000,000.00 रुपये दस लाख
9	S 39 22450210103000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - अनुग्रहिक राहत 03 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28161	KDMDADA12 ADITYA RANJAN D.C. KODERMA	1,000,000.00 रुपये दस लाख

योग: रुपये नब्बे लाख
क्रमिक योग:

3,000,000.00

9,000,000.00

(AMITABH KAUSHAL)
SECRETARY

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 39 22450210103000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 03 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28163	GRDDAD026 SHRI NAMAN PRIYESH LAKRA (IAS) DY. COMMISSIONER GIRIDIH 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	2,500,000.00 रुपये पच्चीस लाख
11	S 39 22450210103000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 03 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28165	DHNDAD023 SANDEEP SINGH DY. COMMISSIONER DHANBAD 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	1,000,000.00 रुपये दस लाख
12	S 39 22450210103000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 03 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28167	BKRLDR014 SADAT ANWAR ADDITIONAL COLLECTOR, BOKARO 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	1,000,000.00 रुपये दस लाख

योग: रुपये एक करोड पैंतीस लाख
क्रमिक योग:

4,500,000.00

13,500,000.00

(AMITABH KAUSHAL)
SECRETARY

क्रमांक	विपद कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 39 22450210103000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - अनुग्रहिक राहत 03 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28169	JSRDAD001 ABHISHEK KUMAR ESTT.DY.COLLEAST SINGHBHUM 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	4,000,000.00 रुपये चालीस लाख
14	S 39 22450210103000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - अनुग्रहिक राहत 03 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28171	SGHDAD013 JAYANT RANJAN ASST.NAZARAT DEPUTY COLLECTOR 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	1,500,000.00 रुपये पंद्रह लाख
15	S 39 22450210103000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - अनुग्रहिक राहत 03 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28175	SKLDAD013 DHANBIR LAKRA DY. COLLECTOR NAZARAT SKL 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	3,500,000.00 रुपये पैंतीस लाख

योग: रुपये दो करोड पच्चीस लाख
क्रमिक योग:

9,000,000.00

22,500,000.00

(AMITABH KAUSHAL)
SECRETARY

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेख्त सं.	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 39 22450210103000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 03 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28176	PLMDAD002 SAILESH KUMAR SINGH N.D.C.PLM 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	1,000,000.00 रुपये दस लाख
17	S 39 22450210103000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 03 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28178	GRHLDR003 PANKAJ KUMAR SINGH A.C.GARHWA 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	1,000,000.00 रुपये दस लाख
18	S 39 22450210103000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 03 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28180	LTRDAD002 ALOK SHIKARI KACHHAP A.C. LATEHAR 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	1,000,000.00 रुपये दस लाख

योग: रुपये दो करोड पचपन लाख
क्रमिक योग:

3,000,000.00

25,500,000.00

(AMITABH KAUSHAL)
SECRETARY

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन प्रदा	आवंटित राशि
19	S 39 22450210103000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 03 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28182	DMKDAD011 RAVI SHANKAR SHUKLA DEPUTY COMMISSIONER, DUM KA 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	1,000,000.00 रुपये दस लाख
20	S 39 22450210103000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 03 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28183	JMTDAD006 ABHISHEK SHRIVASTAVA I/C.A.C. JAMTARA 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	1,000,000.00 रुपये दस लाख
21	S 39 22450210103000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 03 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28185	DGRLDRA39 CHANDRA BHUSHAN SINGH ADDL. COLLECTOR DEOGHAR 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	1,000,000.00 रुपये दस लाख

योग: रुपये दो करोड पचयासी लाख
क्रमिक योग:

(AMITABH KAUSHAL)
SECRETARY

3,000,000.00
28,500,000.00

क्रमांक	ग्रिड कोड	एक्सेस नं	लिकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 39 22450210103000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 03 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28186	GDDDAD020 BHOR SINGH YADAV DY. COMMISSIONER, GODDA 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	1,000,000.00 रुपये दस लाख
23	S 39 22450210103000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 03 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28188	SBJLDR004 VINAY KUMAR MISHRA ADDL. COLL. SAHIBGA NJ 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	9,000,000.00 रुपये नब्बे लाख
24	S 39 22450210103000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 101 - आनुग्रहिक राहत 03 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28190	PKRDADA07 VARUN RANJAN DEPUTY COMMISSIONER PAKUR 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	2,000,000.00 रुपये बीस लाख

योग: रुपये चार करोड पाँच लाख
क्रमिक योग:

12,000,000.00

40,500,000.00

(AMITASH KAUSHAL)

SECRETARY